कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

सहकार संवाद

मार्च-अप्रैल 2022 अंक-04, वर्ष-02 (मासिक)

सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन

गत 12–13 अप्रैल 2022 को सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारिता नीति पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conference on Cooperation Policy) का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान परिवेश में सहकरिता के महत्व एवं उपयोगिता के संबंध विस्तार से अपनी बात को रखा।

सम्मेलन मुख्य रूप से छह महत्त्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित था, जिसमें न केवल सहकारी समितियों के पूरे जीवन चक्र को शामिल किया गया था बल्कि उनके व्यवसाय और शासन के सभी पहलुओं को भी शामिल किया गया। सम्मेलन का अयोजन केन्द्रीय सहकरिता मंत्रालय की तरफ से किया गया था जिसमे केन्द्रीय सहकरिता मंत्री श्री अमित शाह के अलावा केन्द्र सरकार के सहकरिता सचिव, देश की विभिन्न शीर्ष सहकारी संस्थानो के प्रमुख, राज्यों के सहकारिता सचिव, सहकारी समितियों के निबंधक/पंजीयक आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

सम्मेलन में उपस्थित राज्यों के सहकारिता विभाग के शीर्ष स्तर के पदाधिकारियों ने पैनल चर्चा में भाग लेते हुए विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को रखा।

निम्नलिखित छह विषयों पर पैनल चर्चा आयोजित की गई :

- वर्तमान कानूनी ढांचा, नियामक नीति की पहचान, संचालन संबंधी बाधाएं और उन्हें दूर करने हेतु आवश्यक उपाय जिससे व्यापार करने में आसानी हो एवं सहकारी समितियों तथा अन्य आर्थिक संस्थाओं को एक समान अवसर प्रदान किया जा सके।
- सहकारी सिद्धांतों, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्यों की बढ़ती भागीदारी, पारदर्शिता, नियमित चुनाव, मानव संसाधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाने, खाता रखने एवं लेखा परीक्षा सहित शासन को मज़बूत करने हेतु सुधार करना।
- बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने, इक्विटी आधार को मज़बूत करने, पूंजी तक पहुंच, गतिविधियों का विविधीकरण, उद्यमिता को बढ़ावा देने, ब्रांडिंग, विपणन, व्यवसाय योजना विकास, नवाचार, प्रौद्योगिकी अपनाने और निर्यात को बढ़ावा देकर बहु सहकारी जीवंत आर्थिक संस्थाओं को बढ़ावा देना।
- प्रशिक्षण, शिक्षा, ज्ञान साझा करना और जागरूकता निर्माण जिसमें सहकारी समितियों को मुख्यधारा में लाना, प्रशिक्षण को उद्यमिता से जोड़ना महिलाओं, युवा और कमज़ोर वर्गों को शामिल करना शामिल है।
- नई सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, निष्क्रिय लोगों को पुनर्जीवित करना, सहकारी समितियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, सदस्यता बढ़ाना, सामूहिकता को औपचारिक बनाना, सतत विकास के लिए सहकारी समितियों का विकास करना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और नए क्षेत्रों की खोज करना।
- सामाजिक सहकारिता को बढ़ावा देना और सामाजिक सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका को बढ़ाना।

झारखण्ड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता सचिव श्री अबुबक्कर सिद्दीख पी0 एवं निबंधक सहयोग समितियां, श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने 'सामाजिक सहकारिता को बढ़ावा देने ओर सामाजिक सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका' विषय पर सम्मेलन में अपने विचारो को विस्तार से रखा, साथ ही राज्य में सहकारिता परिक्षेत्र में किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित जानकारी को उपस्थित पदाधिकारियों से साझा किया।

देश के सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न हितधारकों के साथ इस तरह के सम्मेलनों की एक शृंखला आयोजित करने की योजना है, इसके अलावा जल्द ही सभी सहकारी संघों के साथ एक और कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

'सहकार से समृद्धि के विज़न को साकार करने के लिये देश में सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल को मज़बूत करने की दिशा में यह एक मजबूत पहल है तथा इन प्रयासों से एक मजबूत एवं सशक्त सहकारिता क्षेत्र का निर्माण होगा।

सहकारिता पर गांधीजी के विचार

सहकारिता की सूक्ष्म विधियों के विषय में मेरा ज्ञान नहीं के बराबर है। स्वयं मुझमें सब बातों के लिए बहुत–कुछ जोश रहता है, परंतु पच्चीस वर्ष के प्रयोग और अनुभव से मुझमें बहुत–कुछ सतर्कता और विवेक–बुद्धि आ गयी है। जो कार्यकर्त्ता किसी काम में लगते हैं वे अवश्य ही, जाने–अनजाने उसके गुणों को बहुत–कुछ बढ़ाकर बताते हैं और प्रायः उसके दोषों को ही उसकी विशेषताओं में बदल देते हैं। इस विषय में बहुत–कुछ सतर्क होने पर मैं अहमदाबाद की अपनी छोटी संस्था को संसार में सर्वोत्तम समझता हूं। केवल उसी से मुझे यथेष्ट प्रेरणा मिलती है। आलोचक मुझसे कहते हैं कि वह आत्मारहित आत्मबल की प्रतीक है और कठोर अनुशासन से बिल्कुल मशीन की तरह हो गई है। मैं समझता हूं कि इस संबंध में हम दोनों ही, उसके आलोचक और मैं गलती पर हैं। वह अधिक से अधिक राष्ट्र को एक ऐसा आवास देने का नम्र प्रयत्न है, जिसमें पुरुष तथा स्त्रियां भारतीय प्रकृति के अनुरुप बिल्कुल स्वतंत्रता और स्वच्छंदता से अपने–अपने चरित्र का विकास कर सकें, यदि उसके चालक यथेष्ट ध्यान न रखें तो जो अनुशासन वास्तव मे सदाचार का मूल है, वही अनुशासन उसका चरम उद्देश्य नष्ट करने का कारण हो सकता है। इसलिए सहकारिता के संबंध में जिन लोगों के मन में बहुत अधिक उत्साह है उन लोगों को मैं सचेत करता हूं कि वे झूठी आशाएं न बांधें।

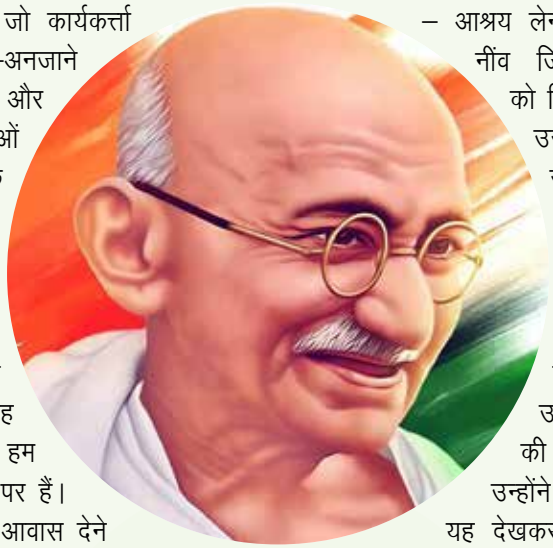

'बिना सदाचार के सहकारिता नहीं हो सकती', भारत के भविष्य के संबंध में आप जैसे चाहें वैसे दिवा स्वप्न देखें, पर यह बात कभी न भूलें कि भारत को एक सूत्र में पिरोना है और इस प्रकार उसे संसार में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के योग्य बनाना है; और सरकार के हाथ में भारत को एक करने का जो रास्ता है वह सहकारिता आंदोलन है।

सहकारिता आंदोलन भारत के लिए उसी हद तक हितकर होगा जिस हद तक वह नैतिक आंदोलन रहेगा और उसका संचालन पूर्ण धार्मिक लगन के लोगों द्वारा होगा। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि सहकारिता को केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रखना चाहिए जो नैतिक दृष्टि से ठीक रहना चाहते हों परंतु अति दरिद्र होने अथवा महाजन के चंगुल में फंसे होने के कारण नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं रह पाते। उचित ब्याज पर ऋण मिलने का सुभीता प्राप्त हो जाने से नीति–भ्रष्ट मनुष्य नीतिमान् नहीं हो जाएंगे; परंतु राज्य के कर्मचारियों या परोपकार–परायण लोगों की बुद्धि मत्ता तो इसी में है कि वे ऐसे लोगों को आगे बढ़ने में सहायता दें जो सज्जन बनने का प्रयत्न कर रहे हों।

प्रायः हम लोगों का यही विश्वास रहता है कि आर्थिक संपन्नता से नैतिक उत्थान होता है; यह आवश्यक है कि जो आंदोलन भारत के लिए इतना हितकारी है वह ऐसा भ्रष्ट होकर लोगों को थोड़े सूद पर ऋण देने का आंदोलन–मात्र न रह जाए। इसीलिए मुझे भारतीय सहकारिता समिति की रिपोर्ट में यह सिफारिश पढ़कर प्रसन्नता हुई थी।

वे लोग (समिति के सदस्य) स्पष्ट रूप से अपनी यह सम्मति प्रकट कर देना चाहते हैं कि यदि सरकार सर्व–साधारण की दशा सुधारना चाहती है तो उसे केवल सच्ची सहकारिता का, ऐसी सहकारिता का जिसमें इस प्रश्न के नैतिक स्वरुप का ख्याल रखा गया हो – आश्रय लेना चाहिए; ऐसी दिखावटी सहकारिता की नींव जिसका निर्माण सहकारिता के सिद्धांतों को बिना जाने हुए ही किया गया हो।

उस मानदंड को अपने सामने रखते हुए, संगठित सहकारी समितियों की संख्या मात्र से ही हम इस आंदोलन की सफलता का माप नहीं करेंगे, बल्कि उसके सदस्यों की नैतिक ऊंचाई से करेंगे। इस अवस्था में रजिस्ट्रार लोग उन समितियों की संख्या बढ़ाने से पहले प्रस्तुत समितियों की नैतिक उन्नति करेंगे। और सरकार उन रजिस्ट्रारों की पद–वृद्धि यह देखकर नहीं करेगी कि उन्होंने कितनी समितियों की रजिस्ट्री की है; बल्कि यह देखकर करेगी कि प्रस्तुत संस्थाओं को कितनी नैतिक सफलता मिली है। इसका अर्थ यह है कि इस बात का पता लगाना होगा कि सदस्यों को दिया हुआ पैसा किस काम में लगता है। जिन लोगों पर सहकारी समितियों के उचित संचालन करने का उत्तरदायित्व है वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो रुपया उधार दिया गया है वह ताड़ी विक्रेताओं की संदूकची में या जुए खानों के मालिकों की जेब में न चला जाये। यदि किसान का घर ताड़ी या जुए से बच गया तो मैं महाजन को उसके लोभ के लिए क्षमा कर दूंगा।

यह आंदोलन सब देशी उद्योगों का ध्यान रखता है। भारत का कोई भी शुभचिंतक, कोई भी देशहितैषी उदासीन नहीं रह सकता।

आश्रम का अस्तित्व उस सहायता पर निर्भर है जो उसे मित्रों से मिलती है। इसलिए ब्याज लेना उचित नहीं हो सकता। जुलाहों पर उसका बोझ नहीं लादा जा सकता। पूरे परिवार, जो पहले छिन्न–भिन्न हो रहे थे, अब फिर एकत्र हो गए हैं। ऋण का उपयोग पहले से ही तय होता है। और हम बिचौलियों के रूप में इनके परिवारों में प्रवेश करने का अधिकार पाते हैं; इससे मुझे आशा है उनकी और हमारी स्थिति सुधरेगी। बिना अपने आपको उन्नत किए हम उन्हें उन्नत कर ही नहीं सकते। यह अंतिम संबंध अभी बन नहीं पाया है, पर हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही इन परिवारों की शिक्षा का काम भी हम अपने हाथ में ले लेंगे और जबतक सभी बातों में हम उनके साथ संबंध न स्थापित कर लेंगे तबतक हम लोग संतुष्ट न होंगे। हमारा यह स्वप्न कोरी कल्पना नहीं है। यदि ईश्वर ने चाहा तो यह स्वप्न किसी दिन साकार हो जाएगा। इतने छोटे से प्रयोग का वर्णन बहुत विस्तार से करने का साहस मैंने इसलिए किया है कि मैं अन्य उदाहरण देकर यह बतला दूं कि सहकारिता से मेरा तात्पर्य क्या है जिससे अन्य लोग उसका अनुकरण कर सकें। हमारे सामने आदर्श स्पष्ट होना चाहिए। संभव है कि उस आदर्श को प्राप्त करने में हम विफल रहे हों, परंतु उसकी प्राप्ति का उद्योग हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उस दशा में हमें उन ''लुच्चों के सहकार'' का भय न रह जाएगा जिसका डर रस्किन को था; और वह उचित ही था। (संपूर्ण गांधी वाङ्मय, खंड 13)

निबंधक की कलम से

राज्य के सहकारिता प्रक्षेत्र में बेहतर समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से कार्य हो, यह हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के तहत विभाग के Website-cooperative.jharkhand.gov.in को पुनः प्रारंभ कर उसे और जनउपयोगी बनाते हुए उसमें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय सहित सभी राज्य स्तरीय सहकारी फेडरेशन, विभाग द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएँ, सूचनाओं,सहकारिता से संबंधित अधिनियमों, नियमावली/संशोधन, आदि से संबंधित जानकारी को समाहित किया गया है।

विभागीय योजनाओं एवं सूचनाओं के वेबसाईट पर उपलब्ध होने से सहकारिता प्रभाग की पहुंच आमजन तक और बढ़ेगी, आपसी संवाद को बढ़ावा मिलेगा और विभागीय कार्यों में पारदर्शिता के साथ साथ ईमानदारी के साथ अपना कार्य नहीं करने वालों की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी। सहकारिता प्रभाग की जानकारी के डिजिटल मोड पर उपलब्ध हो जाने से राज्य के सहकारिता आंदोलन को निश्चित रुप से मजबूती मिलेगी तथा यह और बेहतर तरीके से राज्य के सहकारिता प्रक्षेत्र को नयी दिशा प्रदान करने में अपना योगदान दे सकेगा।

सहकारी समितियों के संबंध में यह आम शिकायत रहती है कि समिति के पदधारी बैक डेटिंग के माध्यम से अपनी इच्छानुसार अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु नये सदस्य बनाकर उन्हें लाभ दे देते हैं अथवा अपने परिवार के सदस्यों को भी समिति का सदस्य बनाकर समिति पर अपना वर्चस्व बना लेते हैं अथवा नये सदस्यों को बनाने में आनाकानी करते हैं, आदि–आदि।

इस समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ में राज्य के सभी लैम्पस/पैक्स/व्यापार मण्डलों से संबंधित आंकड़ों का डिजिटल मोड में संधारण किया जा रहा है साथ ही संबंधित समिति में उपलब्ध सदस्य सूची के आंकड़ों का संधारण किया जा रहा है, इसके बाद विशेष प्रकार की कार्यरत सहकारी समितियों यथा गृह निमार्ण, साख, मत्स्य जीवी आदि से संबंधित समितियों के आंकड़ों आदि को क्रमिक रुप से वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा। डिजिटाइजेशन के अगले चरण में समितियों में नये सदस्यों के शामिल होने की प्रक्रिया को जोड़ा जाएगा तथा नयी सहकारी समितियों के निबंधन की संपूर्ण प्रक्रिया को भी Website के माध्यम से online प्रारंभ कर दिया जायेगा।

हमारा यह प्रयास है कि राज्य को सहकारिता प्रक्षेत्र में निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से समितियों की उपविधियों नियमावली तथा एक्ट के तहत कार्य हों एवं सभी जरूरतमंदो को विशेष कर समाज के गरीब तथा पिछड़े तबके के लोगों एवं छोटे एवं सीमांत कृषकों तक इसका लाभ सुलभ एवं बेहतर तरीके से पहुंचे।

शुभकामनाओं सहित

मृत्युंजय कुमार बरणवाल (भा.प्र.से.)
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

नए सहकारिता मंत्रालय का गठन

सहकारिता के क्षेत्र में संभावनाओं को देखते हुए तथा एक अलग प्रशासनिक ढ़ांचा तैयार करने हेतु केन्द्र सरकार ने अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। देश के सहकारिता आंदोलन को और गति देने हेतु केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् द्वारा 6 जुलाई 2021 को यह निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार द्वारा 'सहकार से समृद्धि' (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) के दृष्टिकोण को साकार करने और सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिये एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' बनाया है।

- इस कदम से सरकार ने समुदाय आधारित विकासात्मक भागीदारी के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। यह वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2021 में की गई बजट घोषणा को भी पूरा करता है।

प्रमुख बिंदु :

सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य :

- यह देश में सहकारिता आंदोलन को मज़बूत करने के लिये एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढाँचा प्रदान करेगा।
- यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने वाले एक जन आधारित आंदोलन के रूप में मज़बूत करने में मदद करेगा।
- यह सहकारी समितियों के लिये 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' के लिये प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बहु–राज्य सहकारी समितियों (MSCS) के विकास को सक्षम करने के लिये काम करेगा।

सूचना का अधिकार एवं सहकारी समितियाँ

– राम कुमार प्रसाद

झारखंड राज्य के प्रत्येक पंचायत में पैक्स/ लैम्पस के निबंधन तथा विशेष प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या निरंतर बढ़ते रहने के कारण इससे जुड़ें सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है। झारखंड सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित 2015) की धारा–27 के अनुसार सहकारी समिति का कोई भी सदस्य नियमों या समिति की उपविधि में विहित सदस्यता संबधी सभी अदायगी (यथा हिस्सा–पूँजी एवं सदस्यता शुल्क) का भुगतान कर देने के बाद उसे सदस्य के सभी अधिकार प्राप्त हो जाते है, जिसमें यह भी शामिल है कि वह सहकारी समिति में संधारित अभिलेखों, सूचनाओं तथा व्यवसाय से संबंधित नियमित संव्यवहारों के लेखाओं के संबंध में सभी जानकारी/कागजात प्राप्त कर सकता है। इस धारा के अनुपालन हेतु समिति के मुख्य कार्यपालक/प्रबंधक का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह मांग किए जाने पर सदस्य को सभी वांछित जानकारी/कागजात सुगम कराए।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के मुख्य उद्देश्य यह है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्य में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व आवश्यक है, इसके लिए इच्छुक नागरिक को सूचना मिलनी चाहिए। नागरिक के मूल अधिकार में शामिल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद–19) के लिए विषयगत जानकारी का होना आवश्यक है, ताकि वह बौद्विक क्षमता का विकास कर सके। सूचना का अधिकार का होना इसलिए भी आवश्यक है कि उच्च स्तर से लेकर सामान्य स्तर तक के सभी आमजनों को पारदर्शितापूर्ण सही–सही सूचना मुहैया हो, जिससे कि हमारे देश के गरीब तबके के लोगों का विकास हो सके। इसके साथ ही ऐसी स्थिति में सरकारी निकायों एवं जनता के बीच की दूरी कम करने और शासन में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक हो जाता है।

इस प्रकार भारत के नागरिक को सूचना प्राप्त करने के अधिकार संबंधी कानूनी प्रावधान ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना को धारा–3(च) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है

''सूचना''–इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, नोटशीट, नमूना, मॉडल, ऑकड़ा संबंधी सामग्री आदि को रखा गया है। इसके अंतर्गत किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना जिस तक विधि के अधीन किसी लोकप्राधिकारी की पहुँच हो सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत धारा–3(ज) के अनुसार ''लोकप्राधिकार'' परिभाषित है, इसके अनुसार –

कोई ऐसा गैर–सरकारी संगठन, जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित हो।

किसी भी सहकारी समिति के बारे में यह निर्धारित करने के लिए वह किसी भी भारतीय नागरिक को सूचना उपलब्ध करावें कि नहीं, उसे राज्य सरकार द्वारा उस लोकप्राधिकार की जानकारी होना जरूरी है।

किसी भी सहकारी समिति के मामले में यह निर्णय लेने के लिए कि वह सूचना दें अथवा नहीं इसके लिए धारा–3 एवं धारा–8 के अंतर्गत विवेचना किए जाने की आवश्यकता है, तदनुसार ही विधि के अनुरूप निर्णय लिया जाना श्रेयस्कर है।

इस अधिनियम की धारा–3 के अंतर्गत जो लोकप्राधिकार होगें, उनकी कुछ बाध्यता भी धारा–4 में निर्धारित है, इसलिए लोकप्राधिकार के रूप में चिन्हित सहकारी समितियों को इसका पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, जिससे कि उनके द्वारा संधारित अभिलेख से संबंधित जानकारी आम नागरिक की उपलब्ध हो सके।

सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध के संबंध में इस अधिनियम की धारा–6(1) में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना प्राप्त करने के लिए लिखित अनुरोध करना होता है। परन्तु जहां अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां जनसूचना अधिकारी, अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी तरह की सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक को 10 (दस) रूपए का पोस्टल ऑर्डर, नगद या अन्य के रूप में शुल्क जनसूचना पदाधिकारी को अपने पत्राचार के पता सहित आवेदन जमा करना होता है। आवदेन में आवेदक को अपना पूरा पता तथा आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना होता है। यहां यह कहना प्रासंगिक होगा कि अधिनियम की धारा–7(5) के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों से कोई फीस नहीं लिया जाना है।

साथ ही, समय सीमा के बाद सूचना बिना शुल्क के प्राप्त होना है। ससमय सूचना मिलने की स्थिति में 2 (दो) रूपये प्रति पृष्ठ की दर से अतिरिक्त भुगतान करने पर वांछित सूचना प्राप्त हो जाता है।

जनसूचना पदाधिकारी के कार्यालय से इतर अन्य लोकप्राधिकार से संबंधित वांछित सूचना की स्थिति में जनसूचना पदाधिकारी, अन्य जन सूचना पदाधिकारी को डीम्ड जनसूचना पदाधिकारी नामित करते हुए आवेदन के 5 दिनों के अंदर अंतरित कर देगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचित करेगा। आवेदक के अनुरोध पर जनसूचना पदाधिकारी/डीम्ड जनसूचना पदाधिकारी 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करायेगा या कारण सहित अनुरोध को अस्वीकार करेगा। ससमय सूचना नहीं देने पर आवेदक यह मान सकता है कि जनसूचना पदाधिकारी ने उसके अनुरोध को नामंजूर कर दिया है। तब आवेदक संबंधित लोकप्राधिकार हेतु अधिसूचित प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के यहां 30 (तीस) दिनों के अंदर अपील दायर कर सकेगा।

"झारखंड राज्य सूचना आयोग
अभियंत्रण छात्रावास संख्या–2
एच.ई.सी. परिसर, धुर्वा, राँची–834004"

धारा–18 में राज्य सूचना आयोग के अधिकार का उल्लेख है। राज्य सूचना आयोग नागरिक को सूचना नहीं मिलने, ससमय सूचना नहीं मिलने, ज्यादा शुल्क लेने, मिथ्या सूचना देने आदि संबंधी जांच कर सकता है। जांच की शक्ति वहीं होती है जो सी.पी.सी. 1908 के अंतर्गत किसी सिविल कोर्ट को होती है। आयोग के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है और उन्हें उपस्थित करा सकता है। साथ ही, शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए विवश कर सकता है।

अधिनियम की धारा–20 के अनुसार राज्य सूचना आयोग ससमय सूचना नही देने वाले जन सूचना पदाधिकारी पर 250 (दो सौ पचास) रू0 प्रतिदिन अधिकतम 25,000 (पच्चीस हजार) रू0 का शास्ति (दंड) अधिरोपित कर सकता है। इसके साथ ही, जनसूचना पदाधिकारी से लगातार सूचना प्राप्त करने में असफल रहा हो, ससमय सूचना नहीं दी हो, जान–बूझकर भ्रामक सूचना दी हो, सूचना देने में जनसूचना पदाधिकारी ने बाधा डाला हो तो ऐसे जन सूचना पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सरकार से अनुरोध करेगा।

राज्य सरकार के सभी कार्यालय इस अधिनियम से आच्छादित है। इसलिए संबंधित सभी कार्यालयों को अपने अभिलेख आदि नियमित रूप से अद्यतन करते रहना चाहिए। कार्यालयों में संधारित सभी कागजातों को इस प्रकार संधारित करना चाहिए कि मांग किए जाने पर आवेदक को वांछित सूचना समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त हो सके।

लेखक, देवघर सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य हैं।

सहकारी समितियों के संबंध में गांधीवादी दर्शन

- **समाजवादी समाज के निर्माण में सहयोग** : गांधीजी के अनुसार, समाजवादी समाज के निर्माण और सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण के लिये सहयोग आवश्यक था। उनका मत था कि सहयोग लोगों को सशक्त बनाने के महत्त्वपूर्ण साधनों में से एक है।
- **फीनिक्स आश्रम** : महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 'फीनिक्स आश्रम' की स्थापना एक समाजवादी पद्धति में सहकारी संस्था के रूप में की थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक सदस्य को दी गई तीन एकड़ भूमि पर खेती करना और अनुपस्थित भूस्वामियों के एक नए वर्ग के उद्भव को रोकना था।
- **टॉल्स्टॉय फार्म** : उन्होंने इस अवधि के दौरान दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित परिवारों के लिये पुनर्वास सहकारी बस्ती के रूप में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। टॉल्स्टॉय के समाजवादी दर्शन में उनका पूरा विश्वास था।
- **किसानों हेतु सहकारिता** : दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधीजी ने भारत के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और अतिरिक्त कराधान, अवैध वसूली आदि से पीड़ित भारतीय किसानों का दिवालियापन और संकट को महसूस किया। उन्होंने देखा कि किसानों के बीच सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है। कृषि उत्पाद जैसे– कपास, चीनी, तिलहन, गेहूँ आदि पर आधारित कोई भी उद्योग सहकारी आधार पर होना चाहिये ताकि उत्पादक अपने उत्पादन का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की सहकारिता से जुड़ी योजनाएं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक सांविधिक निगम है, जो कि कृषि उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भण्डारण, आयात एवं निर्यात, खाद्यान्नों तथा संबद्ध कार्यकलापों जैसे कृषि कार्यों हेतु सहकारिताओं के जरिये विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों का संवर्धन कर रहा है जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित हैः–

- गोदाम एवं शीत गोदाम :– सभी प्रकार की सहकारी समितियों को गोदामों एवं शीत गोदामों के निर्माण/मरम्मत/ नवीनीकरण/ विस्तार एवं अन्य कृषि विपणन अवसंरचनाओं का निर्माण हेतु वित्तीय सहायता
- प्रसंस्करण :– विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु आधारभूत अवसंरचना के निर्माण/ नवीकरण/ विस्तार हेतु वित्तीय सहायता
- कमजोर वर्गों के कार्यक्रम :– मतस्यकी, डेयरी एवं पशुधन, कुक्कुटपालन, अनु० ज० जा०, हथकरघा, कॉयर, पटसन, कोशकीतपालन, पर्वतीय क्षेत्र, श्रम एवं महिला सहकारिताएं हेतु वित्तीय सहायता
- कंप्यूटरीकरण :– सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकारण जिनमें मुख्यतः LAMPS/ PACS एवं सहकारी बैंकों के बेहतर व्यापार निर्णयन हेतु आधुनिक आईटी एवं संबंधित बुनियादी ढांचा जैसे कि डेटा सेंटर, डेटा रिकवरी सेंटर, एंटरप्राइज लेवल नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी, स्टोरेज सॉल्यूशन, सीबीएस, एटीएम, पीओएस मशीन, कियोस्क के साथ ई–लॉबी आदि के विकास के लिए वित्तीय सहायता।
- साख सहकारिताएं :– LAMPS/PACS, सहकारी बैंकों एवं साख सहकारी समितियों को व्यवसाय हेतु अल्पकालिक ऋण/ कार्यशील पूंजी ऋण
- सेवा सहकारिताएं :– श्रमिक सहकारिताएं व् सेवा सहकारिताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण कार्य एवं सिंचाई, पशु देखभाल/ स्वास्थ्य, कृषि बीमा एवं कृषि ऋण, ग्रामीण स्वच्छता, पर्यटन, आतिथ्य एवं यातायात/ नई गैर पारम्परिक एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन एवं वितरण/ ग्रामीण आवास/ अस्पताल/ स्वस्थ्य देखभाल एवं शिक्षा आदि हेतु वित्तीय सहायता।
- **ICDP एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं** :– चयनित जिलों में विभिन्न सहकारी समितियों के सम्पूर्ण विकास हेतु राज्य सरकार के माध्यम से क्रियान्वित योजना।
- औद्योगिक सहकारिताएं :– सभी प्रकार की कुटीर, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प/ ग्रामीण शिल्प आदि के क्रियाकलापों हेतु वित्तीय सहायता।।
- जिनिंग, प्रोसेसिंग एवं कताई, बुनाई एवं वस्त्र निर्माण हेतु वित्तीय सहायता।
- चीनी एवं अन्य कृषि प्रसंस्करण इकाइयां हेतु वित्तीय सहायता।
- उपभोक्ता व्यापार करने के लिए सहकारिताओं हेतु वित्तीय सहायता।

उपरोक्त क्रियाकलापों हेतु एनसीडीसी द्वारा वित्तीय सहायता निम्न योजनाओं के तहत प्रदान की जाती हैरू

I. केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाएँ

II. निगम प्रायोजित योजनाएँ

एनसीडीसी **राज्य सरकार के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष निधि पोषण के माध्यम से** उपरोक्त गतिविधियों के लिए बिना किसी न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा के निम्न वित्तीय सहायता प्रदान करता है रू

i. सावधि ऋण (Term Loan) – बुनियादे ढाँचों के निर्माण हेतु

ii. मार्जिन मनी – कार्यशील पूँजी बढ़ाने के लिए

iii. कार्यशील पूंजी – व्यवसाय विकास के लिये अल्पकालीन ऋण।

नोट : विस्तृत जानकारी के लिए www.ncdc.in को देखा जा सकता है

संयुक्त हस्तशिल्प, हस्तकरघा एवं कुशल कारीगर औद्योगिक सहयोग समिति लि0

झारखण्ड में हस्तशिल्प कला एवं हस्तकरघा के कार्यों से आजीविका चलाने वाले कारीगरों एवं बनुकरों की एक बड़ी आबादी है। किंतु साल भर मात्र 100 से 120 दिन का ही रोजगार मिल पाता था तथा उसका उचित पारिश्रमिक भी नहीं मिलता था साथ ही निर्मित वस्तु को बाजार में बेचना भी एक बड़ी समस्या थी। कार्य की कमी तथा उचित पारिश्रमिक के अभाव में इस कला से जुड़े लोगों की संख्या कम होती जा रही है तथा लोग अन्य रोजगार के विकल्प की तलाश में नजर आते हैं। इसी प्रकार सिलाई से जुड़े लोगों का भी फैक्ट्री के मालिक शोषण करते, उनसे निर्धारित अवधि से अधिका कार्य लिया जाता था तथा पारिश्रमिक भी बेहद कम मिलता था जिससे उनका किसी तरह गुजर बसर हो पाता था।

इन हस्तशिल्प कला, हस्तकरघा एवं सिलाइ बुनाई से जुड़े कारीगरों की प्रमुख समस्या यह थी कि एक मजबूत संगठन के अभाव में इनकी बात कोई सुनता नहीं था और सुनता भी था तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। समय की आवश्यकता थी कि इन हुनरमंद लोगों को इनकी कला से जोड़े रखा जाय तथा कला एवं उससे जुड़ी संस्कृति को और बढ़ावा दिया जाय ताकि राज्य की यह पहचान और निखर कर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो सके।

उस क्षेत्र के कुछ प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं प्रबुद्ध कारीगरों ने समय की आवश्यकता तथा अपने आसपास के हस्तशिल्प, एवं हस्तकरघा से जुड़े लोगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सहकारिता के माध्यम से विकास की धारा में जुड़ने की बात सोची। लगातार आपस में बैठकर एवं सहकारी समिति के गठन का निर्णय लिया गया और सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों के सहयोग से दिनांक 16 मई, 2016 को झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत संयुक्त हस्तशिल्प, हस्तकरघा एवं कुशल कारीगर औद्योगिक सहयोग समिति लि0 का विधिवत निबंधन किया गया। अभी समिति में सदस्य संख्या 70 है तथा 15.30 लाख की कार्यशील पूंजी है।

समिति से जुड़े कामगारों सहित महिलाओं को भी समान भागीदारी दी गयी है एवं उन्हे आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके कौशल विकास हेतु हस्तकरघा बुनाई, हस्तशिल्प एवं सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया गया।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत क्षेत्र की सैंकड़ों महिलाओं को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ताकि वे भी अपनी कला कौशल के दम पर आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति कर सकें।

समिति की महिलाओं द्वारा अधिकांश कार्य हाथ के द्वारा किया जाता है तथा उनके निर्मित वस्तुओं यथा कुर्ता, कुर्ती, साड़ी एवं महिलाओं के वस्त्रों पर जरदारी, काथा कढ़ाई आदि को राज्य सरकार के प्रतिष्ठान झारक्राफ्ट सहकारिता प्रभाग अंतर्गत झास्कोलैम्पफ द्वारा कुसुम ईम्पोरियम में विक्रय हेतु आपूर्ति की जाती है।

समिति को झारक्राफ्ट की ओर से अनुदान पर 15 लूम प्रदान किये गये हैं, लूम के अतिरिक्त समिति के पास 5 हाई सिलाई मशीन, दो फ्लैट लॉक मशीन, एक कपडा कटिंग मशीन, दो प्रेस आयरण हैं जिनके माध्यम से कपड़ों की बुनाई, सिलाई कटाई आदि के कार्य किये जाते हैं।

समिति झारक्राफ्ट से प्राप्त सूत एवं बाजार से सूत क्रय कर कपड़ों एवं कंबल का निर्माण कर झारक्राफ्ट को तथा स्वतंत्र रूप से भी बाजार में बिक्री करने का कार्य कर रही है।

समिति के द्वारा 2019–20 में 18.55 लाख रुपये के कपड़े की बिक्री की गयी अपने सदस्यों को 3.90 लाख रूपये की राशि

उनके द्वारा किये गये कार्यों की एवज में भुगतान की गयी। समिति अपने सदस्यों/कारीगरों के Skill Development हेतु प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जाता रहा है। वर्ष 2019–20 में प्रशिक्षण मद में 69000 रू0 खर्च किया गये।

संयुक्त हस्तशिल्प, हस्तकरघा एवं कुशल कारीगर औद्योगिक सहयोग समिति लि0 के गठन के बाद से क्षेत्र के बनुकरों आदि को मिल रहा है साथ ही अब वर्ष में अधिक कार्य कर वे अपनी मेहनत अपने घर के पास ही रह का उचित मेहनताना प्राप्त कर रहे हैं। समिति का सकल लाभ 3.70 लाख रहा है तथा इसमें आपसी सहयोग एवं बेहतर कार्ययोजना के तहत कार्य करने के फलस्वरुप उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

वर्तमान में समिति किराये के भवन में कार्य कर रही है तथा अपने खुद के वर्कशॉप, दुकान एवं कार्यालय के शीघ्र निर्माण किये जाने की योजना है।

दि झारखण्ड स्टेट आदिवासी को-ऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (वेजफेड) राँची।

– सुरेन्द्र सिंह

दि झारखण्ड स्टेट आदिवासी को–ऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (वेजफेड) राज्य की एक शीर्ष सहकारी संस्था है।

झारखण्ड राज्य मुख्यतः एक पठारी क्षेत्र है। यहाँ के सब्जी उत्पादक किसान असंगठित थे। उनमें जागरूकता की भी कमी थी, जिसके कारण उन्हें उनके उत्पादों का न तो उचित मूल्य प्राप्त होता था और न ही दूसरे राज्यों में अपने उत्पादित फलों एवं सब्जियों का बिक्री कर पाते थे। साथ ही बिचौलियों से पीड़ित और शोषित थे। इनकी इस परेशानी को तत्कालीन सरकार ने महसूस किया और क्षेत्र के आदिवासी किसानों के बीच फलों एवं सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने, उनके उपज के विपणन की व्यवस्था करने एवं अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु प्राथमिक फल–सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों का गठन कराकर सब्जी उत्पादक किसानों को संगठित किया। तत्पश्चात् उन्हीं समितियों और लैम्पस/पैक्स/व्यापार मण्डल आदि को मिलाकर दि छोटानागपुर आदिवासी को–ऑपरेटिव वेजिटेबल माकेटिंग फेडरेशन लि0, राँची का गठन वर्ष 1987 में किया गया (निबंधन संख्या– 10 Hqr-/87 Dated 15.09.1987) जिसका कार्यक्षेत्र राज्य का सम्पूर्ण उप योजना क्षेत्र था।

राज्य विभाजन के पश्चात् दिनांक 24.03.2005 को वेजफेड के उपविधियाँ में संशोधन किया गया और इसका नाम दि झारखण्ड स्टेट आदिवासी को–ऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लि0 (वेजफेड), राँची किया गया और वर्तमान में इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य है।

वेजफेड की उपविधियाँ के अनुसार निदेशक पर्षद में कुल 13 सदस्य है, जिसमें से अध्यक्ष सहित कुल 06 सदस्य पदेन निदेशक होते हैं। शेष 07 सदस्य निर्वाचित निदेशक के रूप में होते हैं।

वेजफेड का उद्देश्य

संघ का मुख्य उद्देश्य राज्य में सम्बद्ध फल सब्जी उत्पादक समितियों के माध्यम से फल सब्जी एवं अन्य कृषि उत्पाद का विकास, मूल्य संवर्द्धन करना तथा विपणन हेतु बाजार उपलब्ध कराना तथा साथ ही आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण तथा विभिन्न योजनओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर कृषकों को लाभान्वित करना है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में झारखण्ड राज्य में फलों की खेती लगभग 100.27 हजार हेक्टेयर में की गई एवं इससे लगभग 1203.64 हजार MT फल का उत्पादन हुआ। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर लगभग 12 टन फल का उत्पादन हुआ, जबकि राष्ट्रीय उत्पादकता लगभग 14.82 MT प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2020–21 में लगभग 295.95 हजार हेक्टेयर में सब्जी की खेती गई गई। इसमें लगभग 3603.41 हजार MT सब्जी का उत्पादन हुआ। इस तरह अगर देखा जाए तो राज्य में प्रति हेक्टेयर लगभग 12.17 MT सब्जी का उत्पादन हुआ, जबकि राष्ट्रीय उत्पादकता लगभग 18.4 MT प्रति हेक्टेयर है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में लगभग 110.57 हजार हेक्टेयर में फलों की खेती की गई है, जिसमें अभी तक लगभग 1337.897 हजार MT उत्पादन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त लगभग 304 हेक्टेयर में सब्जियों की खेती हो रही है, जिसमें अभी तक लगभग 4061.44 MT सब्जी का उत्पादन किया गया है।

वेजफेड, राँची द्वारा भी अपने सम्बद्ध सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के कृषकों के हित में अग्रणी कार्य किए गए हैं :

वेजफेड द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण :

- COVID–19 के कारण लॉकडाउन की स्थिति में वेजफेड से सम्बद्ध सहकारी समितियों द्वारा राँची शहर एवं राज्य के विभिन्न जिलों में उपभोक्ताओं को फ्रेश सब्जियाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया गया तथा कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हुआ।
- वर्ष 2019–20 में 2.5 करोड़ रूपए की फल सब्जी एवं वर्ष 2020–21 में 700 टन तरबूज की बिक्री वेजफेड के माध्यम से की गई।
- झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं प्रखण्ड मुख्यालयों में 22 इकाई रिटेल आउटलेट का निर्माण/अधिष्ठापन गया है। इसका उद्देश्य कृषकों द्वारा उत्पादित गुणवत्तापूर्ण, ताजे एवं स्वास्थ्यवर्द्धक फलों एवं सब्जियों की विपणन करना है ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण ताजे एवं स्वास्थ्यवर्द्धक फलों एवं सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- वेजफेड से सम्बद्ध सहकारी समितियों में सब्जियों के विपणन हेतु 50 इकाई पिक–अप वाहन का वितरण किया गया, जिससे समितियों को उत्पादित फलों एवं सब्जियों को कम समय में किफायती दर पर मंडियों में भेजने में सुविधा हो रही है।
- वर्तमान में कृषकों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। राज्य भर के विभिन्न सम्बद्ध सहकारी समितियों के 1600 कृषकों को क्षेत्र में जाकर कृषि वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों द्वारा आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी मुहैया कराई जा रही है और कृषि केन्द्रों का परिभ्रमण करवाया जा रहा है।

– लेखक, वेजफेड, राँची के प्रबंध निदेशक हैं।

प्रधान सम्पादक : मृत्युंजय कुमार बरणवाल, निबंधक, स0 स0, झारखण्ड **सम्पादक :** जय प्रकाश शर्मा, उप निबंधक, स0 स0
सम्पादकीय सहयोग : राकेश कुमार सिंह, स0 नि0, कुमोद कुमार, स0 नि0
निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रकाशित एवं रेरित इंक, राँची द्वारा मुद्रित।
पता : तृतीय तल, पशुपालन एवं सहकारिता भवन, हटिया - 834004, दूरभाष : 0651-2290444
e-mail : jharkhand.coopregistrar@gmail.com, website : cooperative.jharkhand.gov.in